मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल

एफ–7 सांची कॉम्पलेक्स बोर्ड ऑफिस के सामने भोपाल म.प्र. 462016
दूरभाषः 07552767786 ई–मेलः registrarmpmc@gmail.com

क्रं. एमपीएमसी / उप.पंजी. / प्रोविजनल(अन्यराज्य) / 2018 / 5811- भोपाल दिनांक 22/12/2018

/ / परिपत्र / /

विषयः– अन्य राज्य से एम.बी.बी.एस. कोर्स एवं पंजीयन पश्चात् म.प्र. मेडिकल कौंसिल में प्रोविजनल पंजीयन ।

म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा पूर्व में जारी इंस्ट्रक्शन्स को अधिक्रमित करते हुए अन्य राज्य से एम.बी.बी.एस. कोर्स एवं पंजीयन पश्चात् म.प्र. मेडिकल कौंसिल में प्रोविजनल पंजीयन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. **सेवा का उद्देश्यः–**

मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. कोर्स अन्य राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय से करने तथा संबंधित स्टेट मेडिकल कौंसिल से प्रोविजनल पंजीकृत होने के उपरांत भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 25 के प्रावधान अनुसार चिकित्सा छात्र द्वारा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त म.प्र. राज्य के मेडिकल कॉलेज / हॉस्पिटल से इन्टर्नशीप करने के उद्देश्य से 1 वर्ष हेतु अथवा इंटर्नशीप की अवधि पूर्ण होने तक प्रोविजनल पंजीयन करना ।

2. **पदाभिहित अधिकारी :–**

रजिस्ट्रार, म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल

3. **आवेदन पत्र एवं प्रारूप :–**

आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जावेगा ।

4. **पात्रता की आवश्यक शर्तें :–**

4.1 आवेदक द्वारा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त अन्य राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. कोर्स उत्तीर्ण किया गया हो,

4.2 आवेदक संबंधित स्टेट मेडिकल कौंसिल से प्रोविजनली पंजीकृत हो,

4.3 संबंधित स्टेट मेडिकल कौंसिल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो,

4.4 संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा आवेदक को म.प्र. राज्य के मेडिकल कॉलेज / हॉस्पिटल से इन्टर्नशीप करने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई हो।

4.5 इन्टर्नशीप पूर्ण करने के उपरांत प्रोविजनल पंजीयन हेतु आवेदन स्वीकार नहीं होगा ।

5. **आवश्यक दस्तावेज :–**

5.1 जन्मतिथि के सत्यापन हेतु कक्षा 10वीं की अंकसूची,

5.2 कक्षा 12वीं की अंकसूची,

5.3 एम.बी.बी.एस. फायनल पार्ट–1 परीक्षा उत्तीर्ण की समस्त अंकसूचियां,

5.4 एम.बी.बी.एस. फायनल पार्ट–2 परीक्षा उत्तीर्ण की समस्त अंकसूचियां,

5.5 संबंधित स्टेट मेडिकल कौंसिल का प्रोविजनल प्रमाण पत्र,

5.6 संबंधित स्टेट मेडिकल कौंसिल का अनापत्ति प्रमाण पत्र,

(अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन दिनांक से तीन माह पूर्व का नहीं होना चाहिए)

5.7 संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा आवेदक को म.प्र. राज्य के मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल से इन्टर्नशीप करने हेतु अनुमति प्रदान करने का आदेश ।

5.8 अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख/अस्पताल अधीक्षक (जिस संस्था से चिकित्सा छात्र इंटर्नशीप कर रहा है) द्वारा जारी ईन्टर्नशीप अंडरगोइंग प्रमाण पत्र ।

5.9 निर्धारित प्रारूप में पचास रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र । Appendix 'A'

6. आवेदक को एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना होगी–

6.1 यदि आवेदक प्रथम बार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर रहा है तो पहले उसे अपना User Profile बनाना होगा । User Profile आवेदक के आधार नंबर के माध्यम से OTP/ Biometric से पुष्टि होकर बनेगा ।

6.2 User Profile में दर्ज किये गये मोबाईल नम्बर ही आवेदक का यूजर आईडी होगा तथा ओटीपी (पासवर्ड) उक्त दर्ज मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगा । आवेदक को अवगत कराया जाता है कि वे अपना स्थाई मोबाईल नम्बर ही अपने लॉगइन में दर्ज करें ।

6.3 आवेदक को लॉगईन में अपना फोटो एवं हस्ताक्षर एक साथ स्केन कर निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करना होगा । Appendix 'B'

6.4 आवेदक अपने User Profile के माध्यम से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

6.5 आवेदन में अपने नाम की स्पेलिंग उनके द्वारा धारित अंकसूची/प्रमाण पत्र के अनुरूप ही लिखें ।

6.6 आवेदन भरते समय आवेदक द्वारा अपना नाम, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस सही–सही भरा जावे। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद नाम, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं होगा ।

6.7 आवेदक अपनी इन्टर्नशीप पूर्ण होने के पूर्व आवेदन प्रस्तुत करें जिससे इन्टर्नशीप पूर्ण होने के पूर्व प्रोविजनल पंजीयन जारी किया जा सके । इन्टर्नशीप पूर्ण होने के उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं होंगे । ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।

6.8 आवेदक को आवेदन सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन दर्ज किया जाना एवं कंडिका –5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।

6.9 आवेदक को म.प्र. मेडिकल कौंसिल के कार्यालय (एफ–7 सांची कॉम्पलेक्स बोर्ड ऑफिस के सामने भोपाल म.प्र. 462016) में अपने अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए पोर्टल पर स्लॉट बुक कर दिनांक चयनित करना होगी। चयनित दिनांक पर ही आवेदक उक्त सत्यापित आवेदन पत्र एवं अपने मूल अभिलेखों के साथ सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे ।

6.10 आवेदक को पंजीयन शुल्क रूपये 2200/– (दो हजार दो सौ रूपये मात्र) का भुगतान ऑनलाइन किया जाना होगा।

6.11 ऑनलाईन आवेदन जमा होने के साथ ही सॉफ्टवेयर से आवेदन की पावती (Receipt) तैयार होगी । आवेदन की पावती (Receipt) आवेदक के लॉगइन पर उपलब्ध होगी।

6.12 आवेदन पोर्टल पर प्रस्तुत होने के उपरांत एक यूनिक एप्लीकेशन नम्बर जनरेट होगा। उक्त यूनिक एप्लीकेशन नम्बर से अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति ज्ञात कर सकते हैं।

6.13 उक्त आवेदन पत्र की कलर प्रिंट की प्रति पर अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख/अस्पताल अधीक्षक (जिस संस्था से चिकित्सा छात्र इंटर्नशीप कर रहा है) से आवेदन पत्र को सत्यापित (हस्ताक्षर एवं सील सहित) करवाएं । उसकी एक प्रति आवेदक अपने पास सुरक्षित रखें ।

6.14 सत्यापन एवं मुहर लगाने हेतु बिना लेमिनेशन के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

6.15 अभिलेखों की छायाप्रति स्वयं द्वारा सत्यापित होनी चाहिए । समस्त मूल अभिलेख (इंटर्नशीप अंडरगोइंग सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र को छोड़कर) आवेदक को वापस कर दिये जावेंगे ।

6.16 यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संशोधन हेतु आवेदन आवेदक को ऑनलाइन वापस (Sent Back) किया जावेगा । ऐसी स्थिति में आवेदक को उसी दिन (clarification पर जाकर) आवेदन में संशोधन कर प्रस्तुत करना होगा।

6.17 यदि आवेदक चयनित तिथि को अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होता है अथवा Sent Back किये गये आवेदन में संशोधन कर उसी दिन प्रस्तुत नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को अभिलेखों के सत्यापन हेतु पुनः स्लॉट बुक करना होगा जिस हेतु पुनः स्लॉट बुकिंग शुल्क रूपये 500/– (पांच सौ रूपये मात्र) का भुगतान ऑनलाइन किया जाना होगा ।

6.18 म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदक के लॉगईन पर अपलोड होगा जहां से आवेदक स्वयं प्रिंट ले सकते हैं।

6.19 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत यदि आवेदन प्रोविजनल पंजीयन के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने का आदेश म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा पारित किया जावेगा । आदेश की प्रति आवेदक के लॉगईन पर प्रेषित की जावेगी ।

7. आवेदन प्राप्त होने पर म.प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी –

7.1 आवेदक द्वारा चयनित तिथि को आवेदक के उपस्थित होने की स्थिति में ही आवेदन/अभिलेखों के सत्यापन, आवेदन स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने की कार्यवाही म.प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा की जावेगी।

7.2 यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संशोधन हेतु आवेदन आवेदक को ऑनलाइन वापस (Sent Back) किया जावेगा । ऐसी स्थिति में आवेदक को उसी दिन अपने लॉगइन पर जाकर आवेदन में संशोधन कर प्रस्तुत करना होगा।

7.3 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत आवेदन प्रोविजनल पंजीयन के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त कर आदेश पारित किया जावेगा । आदेश की प्रति आवेदक के लॉगइन पर उपलब्ध होगी ।

7.4 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत आवेदन प्रोविजनल पंजीयन के लिए पात्र पाए जाने पर आवेदन स्वीकृत कर पंजीयन क्रमांक जनरेट किया जावेगा।

7.5 कंडिका क्रमांक 7.4 अनुसार जनरेट सर्टिफिकेट पर डिजिटल हस्ताक्षरित पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाईन जारी किए जावेंगे। डिजिटल हस्ताक्षरित पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदक के लॉगईन पर प्रेषित किया जावेगा ।

8. शुल्क –

8.1 अन्य राज्य से एम. बी. बी. एस. कोर्स एवं पंजीयन पश्चात् म.प्र. मेडिकल कौंसिल में प्रोविजनल पंजीयन हेतु [अप्रतिदेय (non refundable)] शुल्क रू. 2200.00 (रूपये दो हजार दो सौ मात्र) है ।

8.2 उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक को एम. पी. ऑन लाइन द्वारा निर्धारित पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा ।

रजिस्ट्रार

मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल

एफ–7 सांची कॉम्पलेक्स बोर्ड ऑफिस के सामने भोपाल म.प्र. 462016
दूरभाषः 07552767786 ई–मेलः registrarmpmc@gmail.com

क्रं. एमपीएमसी/उप.पंजी./प्रोविजनल(अन्यराज्य)/2018/5811- भोपाल दिनांक 22/12/2018

//परिपत्र//

विषयः– अन्य राज्य से एम.बी.बी.एस. कोर्स एवं पंजीयन पश्चात् म.प्र. मेडिकल कौंसिल में प्रोविजनल पंजीयन ।

म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा पूर्व में जारी इंस्ट्रक्शन्स को अधिक्रमित करते हुए अन्य राज्य से एम.बी.बी.एस. कोर्स एवं पंजीयन पश्चात् म.प्र. मेडिकल कौंसिल में प्रोविजनल पंजीयन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. **सेवा का उद्देश्यः–**

मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. कोर्स अन्य राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय से करने तथा संबंधित स्टेट मेडिकल कौंसिल से प्रोविजनल पंजीकृत होने के उपरांत भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 25 के प्रावधान अनुसार चिकित्सा छात्र द्वारा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त म.प्र. राज्य के मेडिकल कॉलेज / हॉस्पिटल से इन्टर्नशीप करने के उद्देश्य से 1 वर्ष हेतु अथवा इंटर्नशीप की अवधि पूर्ण होने तक प्रोविजनल पंजीयन करना ।

2. **पदाभिहित अधिकारी :–**

रजिस्ट्रार, म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल

3. **आवेदन पत्र एवं प्रारूप :–**

आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जावेगा ।

4. **पात्रता की आवश्यक शर्तें :–**

4.1 आवेदक द्वारा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त अन्य राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. कोर्स उत्तीर्ण किया गया हो,

4.2 आवेदक संबंधित स्टेट मेडिकल कौंसिल से प्रोविजनली पंजीकृत हो,

4.3 संबंधित स्टेट मेडिकल कौंसिल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो,

4.4 संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा आवेदक को म.प्र. राज्य के मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल से इन्टर्नशीप करने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई हो।

4.5 इन्टर्नशीप पूर्ण करने के उपरांत प्रोविजनल पंजीयन हेतु आवेदन स्वीकार नहीं होगा ।

5. **आवश्यक दस्तावेज :–**

5.1 जन्मतिथि के सत्यापन हेतु कक्षा 10वीं की अंकसूची,

5.2 कक्षा 12वीं की अंकसूची,

5.3 एम.बी.बी.एस. फायनल पार्ट–1 परीक्षा उत्तीर्ण की समस्त अंकसूचियां,

5.4 एम.बी.बी.एस. फायनल पार्ट–2 परीक्षा उत्तीर्ण की समस्त अंकसूचियां,

5.5 संबंधित स्टेट मेडिकल कौंसिल का प्रोविजनल प्रमाण पत्र,

5.6 संबंधित स्टेट मेडिकल कौंसिल का अनापत्ति प्रमाण पत्र,

(अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन दिनांक से तीन माह पूर्व का नहीं होना चाहिए)

5.7 संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा आवेदक को म.प्र. राज्य के मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल से इन्टर्नशीप करने हेतु अनुमति प्रदान करने का आदेश ।

5.8 अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख/अस्पताल अधीक्षक (जिस संस्था से चिकित्सा छात्र इंटर्नशीप कर रहा है) द्वारा जारी ईन्टर्नशीप अंडरगोइंग प्रमाण पत्र ।

5.9 निर्धारित प्रारूप में पचास रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र । Appendix ‘A’

6. आवेदक को एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना होगी–

6.1 यदि आवेदक प्रथम बार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर रहा है तो पहले उसे अपना User Profile बनाना होगा । User Profile आवेदक के आधार नंबर के माध्यम से OTP/ Biometric से पुष्टि होकर बनेगा ।

6.2 User Profile में दर्ज किये गये मोबाईल नम्बर ही आवेदक का यूजर आईडी होगा तथा ओटीपी (पासवर्ड) उक्त दर्ज मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगा । आवेदक को अवगत कराया जाता है कि वे अपना स्थाई मोबाईल नम्बर ही अपने लॉगइन में दर्ज करें ।

6.3 आवेदक को लॉगईन में अपना फोटो एवं हस्ताक्षर एक साथ स्केन कर निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करना होगा । Appendix ‘B’

6.4 आवेदक अपने User Profile के माध्यम से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

6.5 आवेदन में अपने नाम की स्पेलिंग उनके द्वारा धारित अंकसूची/प्रमाण प़त्र के अनुरूप ही लिखें ।

6.6 आवेदन भरते समय आवेदक द्वारा अपना नाम, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस सही–सही भरा जावे। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद नाम, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं होगा ।

6.7 आवेदक अपनी इन्टर्नशीप पूर्ण होने के पूर्व आवेदन प्रस्तुत करें जिससे इन्टर्नशीप पूर्ण होने के पूर्व प्रोविजनल पंजीयन जारी किया जा सके । इन्टर्नशीप पूर्ण होने के उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं होंगे । ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।

6.8 आवेदक को आवेदन सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन दर्ज किया जाना एवं कंडिका –5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।

6.9 आवेदक को म.प्र. मेडिकल कौंसिल के कार्यालय (एफ–7 सांची कॉम्पलेक्स बोर्ड ऑफिस के सामने भोपाल म.प्र. 462016) में अपने अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए पोर्टल पर स्लॉट बुक कर दिनांक चयनित करना होगी। चयनित दिनांक पर ही आवेदक उक्त सत्यापित आवेदन पत्र एवं अपने मूल अभिलेखों के साथ सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे ।

6.10 आवेदक को पंजीयन शुल्क रूपये 2200/– (दो हजार दो सौ रूपये मात्र) का भुगतान ऑनलाइन किया जाना होगा।

6.11 ऑनलाईन आवेदन जमा होने के साथ ही सॉफ्टवेयर से आवेदन की पावती (Receipt) तैयार होगी । आवेदन की पावती (Receipt) आवेदक के लॉगइन पर उपलब्ध होगी।

6.12 आवेदन पोर्टल पर प्रस्तुत होने के उपरांत एक यूनिक एप्लीकेशन नम्बर जनरेट होगा। उक्त यूनिक एप्लीकेशन नम्बर से अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति ज्ञात कर सकते हैं।

6.13 उक्त आवेदन पत्र की कलर प्रिंट की प्रति पर अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख/अस्पताल अधीक्षक (जिस संस्था से चिकित्सा छात्र इंटर्नशीप कर रहा है) से आवेदन पत्र को सत्यापित (हस्ताक्षर एवं सील सहित) करवाएं । उसकी एक प्रति आवेदक अपने पास सुरक्षित रखें ।

6.14 सत्यापन एवं मुहर लगाने हेतु बिना लेमिनेशन के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

6.15 अभिलेखों की छायाप्रति स्वयं द्वारा सत्यापित होनी चाहिए । समस्त मूल अभिलेख (इंटर्नशीप अंडरगोइंग सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र को छोड़कर) आवेदक को वापस कर दिये जावेंगे ।

6.16 यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संशोधन हेतु आवेदन आवेदक को ऑनलाइन वापस (Sent Back) किया जावेगा । ऐसी स्थिति में आवेदक को उसी दिन (clarification पर जाकर) आवेदन में संशोधन कर प्रस्तुत करना होगा।

6.17 यदि आवेदक चयनित तिथि को अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होता है अथवा Sent Back किये गये आवेदन में संशोधन कर उसी दिन प्रस्तुत नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को अभिलेखों के सत्यापन हेतु पुनः स्लॉट बुक करना होगा जिस हेतु पुनः स्लॉट बुकिंग शुल्क रूपये 500/– (पांच सौ रूपये मात्र) का भुगतान ऑनलाइन किया जाना होगा ।

6.18 म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदक के लॉगईन पर अपलोड होगा जहां से आवेदक स्वयं प्रिंट ले सकते हैं।

6.19 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत यदि आवेदन प्रोविजनल पंजीयन के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने का आदेश म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा पारित किया जावेगा । आदेश की प्रति आवेदक के लॉगईन पर प्रेषित की जावेगी ।

7. आवेदन प्राप्त होने पर म.प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी –

7.1 आवेदक द्वारा चयनित तिथि को आवेदक के उपस्थित होने की स्थिति में ही आवेदन/अभिलेखों के सत्यापन, आवेदन स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने की कार्यवाही म.प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा की जावेगी।

7.2 यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संशोधन हेतु आवेदन आवेदक को ऑनलाइन वापस (Sent Back) किया जावेगा । ऐसी स्थिति में आवेदक को उसी दिन अपने लॉगइन पर जाकर आवेदन में संशोधन कर प्रस्तुत करना होगा।

7.3 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत आवेदन प्रोविजनल पंजीयन के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त कर आदेश पारित किया जावेगा । आदेश की प्रति आवेदक के लॉगइन पर उपलब्ध होगी ।

7.4 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत आवेदन प्रोविजनल पंजीयन के लिए पात्र पाए जाने पर आवेदन स्वीकृत कर पंजीयन क्रमांक जनरेट किया जावेगा।

7.5 कंडिका क्रमांक 7.4 अनुसार जनरेट सर्टिफिकेट पर डिजिटल हस्ताक्षरित पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाईन जारी किए जावेंगे। डिजिटल हस्ताक्षरित पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदक के लॉगईन पर प्रेषित किया जावेगा ।

8. शुल्क –

8.1 अन्य राज्य से एम. बी. बी. एस. कोर्स एवं पंजीयन पश्चात् म.प्र. मेडिकल कौंसिल में प्रोविजनल पंजीयन हेतु [अप्रतिदेय (non refundable)] शुल्क रू. 2200.00 (रूपये दो हजार दो सौ मात्र) है ।

8.2 उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक को एम. पी. ऑन लाइन द्वारा निर्धारित पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा ।

रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

Appendix 'B'

Colour Photo
Signature

Appendix –A

AFFIDAVIT

I, _________________________ aged ______ S/o Shri ____________________________ R/o ______________ do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. I was admitted to Under Graduate Medical Qualification M.B.B.S. from _______________ (Name of College) under _______________ (Name of university) and completed in the year ________ (Month and Year of Final Exam).
2. I declare that above named Degree was recognized at the time of passing by Medical Council of India, New Delhi.
3. I have applied for provisional registration of above Under Graduate Medical Qualification to the M. P. Medical Council .
4. I am provisionally registered with ________________ medical Council (name of medical council) vide registration no. ________ dated ________.
5. I declare that my all document which I have submitted along with my application online for registration are genuine and true.
6. I declare and affirm that if above documents and declarations are found false, fabricated or otherwise tampered the Council can cancel my registration and shall be free to proceed in law against me.

Deponent

Verification

I, ________________ do hereby verify that contents of para 1 to 6 of affidavit are true to my personal knowledge.

Verified at ________ on this ________ Day of ________ 20___.

Deponent